कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

(जिला गोपनीय शाखा)

संयुक्त आदेश

अपर सचिव– सह– परीक्षा नियंत्रक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार पटना के पत्रांक–100, दिनांक 12.02.2018 के आलोक में ' पुलिस अवर निरीक्षक' के पद की लिखित परीक्षा जिले के 19 (उन्नीस) परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक–11.03.2018 को आयोजित किया जाएगा। कदाचार मुक्त संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :–

लिखित परीक्षा, 2018 निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगी –

दिनांक	पाली	परीक्षा अवधि (दो घंटे)	अभ्यर्थियों का रिर्पोटिंग टाईम
11.03.2018 (रविवार)	प्रथम पाली	10:00 बजे पूर्वा0 से 12:00 बजे मध्याह्न तक	08:30 बजे पूर्वाह्न

1. **स्टैटिक दल :–**

स्टैटिक दण्डाधिकारी के कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्नलिखित है:–

- स्टैटिक दल में परीक्षा केन्द्र पर दो दण्डाधिकारी एक महिला एवं एक पुरूष होंगे।
- प्रत्येक केन्द्र पर 1–4 की संख्या में लाठी बल के जवान होंगे, जिनकी प्रतिनियुक्ति परिचारी प्रवर करेंगे।
- स्टैटिक दण्डाधिकारी/आर्ब्जवर समय पर परीक्षा केन्द्र पर सुबह 8:30 बजे अनिवार्यतः उपस्थित हो जायेंगे, ताकि निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हो सके, क्योंकि स्टैटिक दण्डाधिकारी/आर्ब्जवर की उपस्थिति में ही प्रश्न–पत्रों के सील बंद पैकेटों को खोला जाना है।
- सभी दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल सुबह 8:30 बजे परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्यतः पहुंच जायेंगे।
- प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारियों का दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर शत–प्रतिशत Frisking कराकर ही एवं उनके प्रवेश पत्र को देखकर ही अंदर जाने देंगे। किसी भी स्थिति में परिक्षार्थियों के अतिरिक्त अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करने पायें। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अलावे अन्य किसी प्रकार का कोई कागजात/सामान/पेजर/मोबाईल फोन/ब्लूटूथ/मोबाईल हैंड वाच या अन्य किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि परीक्षा भवन में लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। परीक्षा की पवित्रता व गोपनीयता को प्रभावित करने के प्रयास की अन्यथा जॉच होने पर संबंधित प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी की भूमिका की भी समीक्षा होगी।
- परीक्षा केन्द्रवार प्रतिनियुक्त विडियोग्राफर की उपस्थिति में ही परीक्षार्थी को मुख्य प्रवेश द्वार से ही ससमय प्रवेश कराया जाय। इस संबंध में विडियोग्राफरों की प्रतिनियुक्ति केन्द्राधीक्षक द्वारा अलग से की जा रही है, जो उन्हें ससमय परिचय पत्र भी निर्गत करेंगे एवं 08:30 बजे पूर्वा0 तक सभी परीक्षा केन्द्रों पर विडियोग्राफरों की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद विडियोग्राफी की सील बन्द सी0डी0 जिला गोपनीय शाखा, औरंगाबाद में जमा करायेंगे, जिसे बाद में अपर सचिव– सह– परीक्षा नियंत्रक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार पटना को भेजी जायेगी।
- परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र छोड़ने नहीं दिया जायेगा।
- छात्रा परीक्षार्थियों की जांच हेतु महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों के लिए पुलिस उपाधीक्षक, प्रारक्ष, औरंगाबाद द्वारा अलग से किया जायेगा। जांच हेतु अलग से गोपनीय प्रकोष्ठ बनवाकर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

- प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष/केन्द्र से बाहर नहीं जाने पाये।
- प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्र के आस–पास भीड़ न होने पाये तथा धारा 144 द0प्र0सं0 का उल्लंधन न हो।
- प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का दायित्व होगा कि परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त जवानों में से 1–4 बल को मुख्य गेट पर तथा शेष बल को परीक्षा केन्द्र के चारों तरफ लगायेंगे। परीक्षा केन्द्र के जिस भाग में चहारदीवारी नहीं हैं, वहाँ अधिक संख्या में पुलिस बल को तैनात करेंगे।
- स्टैटिक मैजिस्ट्रेट को प्रेक्षक (Observer) के रूप में अपने दायित्व के निर्वहन के लिए अधिकृत किया जाता है।
- प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट/जोनल दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है।

2. जोनल दण्डाधिकारी एवं उड़नदस्ता दल :–

जोनल दण्डाधिकारी एवं उड़नदस्ता दल के कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्नलिखित है :–

- प्रत्येक दल में 1 दण्डाधिकारी एवं 1–4 का बल होगा, बल में एक पुलिस पदाधिकारी एवं 4 नियमित पुलिस बल होगा।
- दल के रूप में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के नामों की सूची परिशिष्ट–'क' पर संलग्न है।
- जोनल एवं उड़नदस्ता दण्डाधिकारी का दायित्व होगा कि वे परीक्षा केन्द्र पर सघन गश्ती करेंगे, ताकि कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न हो सके।
- जोनल दण्डाधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने संबद्ध परीक्षा केन्द्रों का व्यवस्थित एवं सतत् निरीक्षण करेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर किसी तरह की अनियमितता एवं कदाचार की रोक–थाम के लिए वे आवश्यक कदम भी उठायेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था केन्द्राधीक्षक को दिये गये अनुदेश के अनुरूप की गयी है।
- वे सुनिश्चित करेंगे की सभी परीक्षा केन्द्रों पर वर्णित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय पर परीक्षा आरंभ एवं समाप्त हो।
- वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र के लिए प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल वहां परीक्षा आरंभ होने से एक घंटा पूर्व अवश्य पहुंच गये हैं, और अपने कर्त्तव्य पर सतत् उपस्थित है, अन्यथा प्रतिकूल स्थिति में, वे इसकी सूचना अपने वरीय पदाधिकारियों को तुरंत देंगे, तथा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
- जोनल मजिस्ट्रेट अपने संबद्ध परीक्षा केन्द्रों के आस–पास धारा 144 (द0प्र0सं0) के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस कार्रवाई में गिरफ्तार व्यक्तियों तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत निष्कासित छात्रों को अपनी गश्ती के दौरान ही थाना में पहुँचा देंगे।
- जोनल दण्डाधिकारी, जिस केन्द्र में चहारदिवारी नहीं है वहां ज्यादा समय तक स्थायी रूप से रहेंगे।
- इसी प्रकार, उड़नदस्ता दल अपने–अपने प्रतिनियुक्त परीक्षा केन्द्रों पर लगातार भ्रमणशील रहेंगे एवं कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा के संचालन निमित सभी यथेष्ट अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए स्थिति पर लगातार निगरानी रखेंगे।
- जोनल दण्डाधिकारी एवं उड़नदस्ता दल आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य करेंगे।
- परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षा केन्द्रों से वापस लौटने वाली सील्ड पैकेट्स यथा उत्तर पुस्तिकाऐं, व्यवहृत तथा अव्यवहृत प्रश्न–पुस्तिकाऐं आदि संबंधित जोनल मैजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त कर जिला मुख्यालय में अवस्थित वज्रगृह (कोषागार, औरंगाबाद) में सुरक्षित रूप से रखी जाएगी।